

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक ३२९४ / ४८४/सीरी/१३-अडतीस

भोपाल, दिनांक ०९/१२/२०१३

प्रति,

✓ श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
अध्यक्ष,
सोनल एजूकेशनल सोसायटी,
ग्राम तेहरा, हथरस रोड सोनई मथुरा,
उत्तरप्रदेश ।

विषय:- मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव- सोनल एजूकेशनल सोसायटी, मथुरा, उत्तरप्रदेश (पी.के.युनिवर्सिटी शिवपुरी)

संदर्भ:- म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पत्र क्रमांक 1403 दिनांक 04.10.13 एवं निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशंसा दिनांक 04.10.13

---0---

मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुशंसा पत्र क्रमांक 1403 दिनांक 04.10.13 के अनुसार राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के आपकी संरथा के प्रस्ताव पर आशय-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी करने का निर्णय लिया गया है कि प्रायोजी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 में उल्लेखित समर्त शर्तों एवं विहित प्रक्रिया का पालन करने की कार्यवाही निर्धारित अवधि में की जावेगी ।

शर्ते निम्नानुसार हैं:-

1. वह-

(क) मुख्य परिसर तथा ऐसे अन्य परिसर जो विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किए जाएं ।

(ख) धारा 11 के उपबंधों के अनुसार विव्यास निधि स्थापित करेगा ।

2. वह स्थापित किये जाने वाले मुख्य परिसर के लिए व्यूनतम 10 हैक्टेयर भूमि प्राप्त करेगा और उसके स्वामित्व संबंधी कागज प्रस्तुत करेगा ।

3. वह प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुबंधी संरचना के रूप में व्यूनतम 2500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।
4. वह निम्नलिखित प्रभाव का परिवर्चन देगा कि:-
- (क) निजी विश्वविद्यालय एकात्मक तथा स्वविलिप्तपोषित होगा।
 - (ख) निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु किया जाएगा।
 - (ग) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल पश्चात तथा कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक विभाग में या विषय(डिसिप्लीन) में आवश्यक सहयोगी कर्मचारिवृक्ष सहित पर्याप्त संख्या में संकाय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
 - (घ) वह छात्रों के लाभ हेतु विनियामक निकाय द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार उचित शैक्षणिक तथा स्वस्थ वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलाप, जैसे सेमिनार, वादविवाद, प्रश्नावली, कार्यक्रम तथा पाठ्येतर क्रियाकलाप जैसे क्रीड़ा, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, नेशनल केडिट कोरप्स आदि, को करेगा।
 - (इ.) वह निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करेगा
 - (च) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियामक आयोग और विनियामक परिषदों द्वारा, समय-समय पर, विहित की जाए।
 - (छ) विनियामक निकाय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित कार्यक्रम, संकाय, अधोसंरचना, सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता की शर्तों को व्यूनतम मापदण्डों में पूरा करेगा।
 - (ज) वह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिपत्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पुष्टि करेगा।
 - (झ) वह यथास्थिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विनियामक परिषदों या विनियामक आयोग के मानकों, दिशा निर्देशों या निर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, प्रवेश प्रक्रिया एवं फीस के नियतन को अवधारित करेगा।
- (M/2013)
09/12/13)*

- (ज) उसका नेशनल कॉर्सिल ऑफ एसेसमेंट एण्ड एकेडिटेशन द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारण तथा प्रत्यायोजन किया जाएगा ।
- (ठ) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारिवृंद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विनियामक परिषद या निकाय द्वारा यथाविहित व्यूनतम अर्हता रखेगा तथा कर्मचारिवृंद को समुचित पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा ।
- (ड) निजी विश्वविद्यालय समर्त व्यक्तियों के लिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, खुला रहेगा और जाति, पंथ धर्म वंश के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति या, निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें किसी अन्य पद के धारण करने या उसे निजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश दिए जाने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण करे या उस पर कोई परीक्षण थोपे ।
- (इ.) धारा 35 के उपबंध के अनुसार संबंधित परिनियमों तथा अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशित हो जाने तक प्रवेश तथा कक्षाएं प्रारंभ नहीं होंगे ।
- (य) विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजी निकाय ने उपरोक्त उपबंधों का पालन कर लिया है तथा उसके प्रताव के आधार पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो वह अनुसूची का संशोधन करके ऐसे विशिष्ट नाम तथा विवरण सहित, जैसा कि अनुसूची में इस निर्मित विनिर्दिष्ट किया जाए, एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा ।
- (र) ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निर्गमित हुआ समझा जाएगा ।
- निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में दर्शाए गए ऐसे नाम से एक निर्गमित निकाय होगा जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शाश्वत् उत्तराधिकार होगा एवं उसकी सामान्य मुद्रा होगी, जो सम्पत्ति अर्जित कर सकेगा तथा उसका स्वामित्व होगा, करार कर सकेगा तथा उस नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।

- (व) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विलोध प्रस्तुत समर्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वाद या कार्यवाहियों में समर्त आदेशिकाएं कुलसचिव को जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी।
5. राज्य सरकार से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2), धारा- 8 (6) एवं 11 (1) में यथा उपबंधित आशय-पत्र प्राप्त होने पर, यदि कोई प्रायोजी निकाय शर्तों को पूरा करना चाहता है तथा आशय-पत्र में यथा उल्लेखित परिवर्चन देता है तो वह बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 क. 5) की प्रथम अनुसूची में तत्वथानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट बैंक में पन्द्रह दिन के भीतर शाश्वत निषेप के रूप में पांच करोड़ की विन्यास निधि स्थापित करेगा।
6. अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अनुसार, ऐसा निजी विश्वविद्यालय, अनुसूची के संशोधन की तारीख से निगमित हुआ समझा जाएगा।
7. वह धारा 9-क में उपबंधित प्रक्रिया अपनाए बिना किसी ऐसे विद्यमान महाविद्यालय या संस्था को, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से किसी विभाग, विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की संघटक इकाई के रूप में संबद्ध हो, अधिसूचित नहीं करेगा।
8. वह विनियामक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई संकाय स्थापित नहीं करेगा।
9. आशय पत्र, इसके जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा तथा राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।
- परन्तु मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013 के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किए गए आशय पत्र की वैधता उपरोक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी।
10. निजी विश्वविद्यालय, उसके निगमन के पश्चात, विनियामक आयोग को किसी अन्य विद्यमान विश्वविद्यालय से किसी विभाग या विद्या शाखा या निजी विश्वविद्यालय की किसी अन्य संघटक इकाई के रूप संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था को अधिसूचित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

11. किसी भी तरह के विवाद या मान्यायालय प्रकरण होने की स्थिति में मा.न्यायालय के निर्देशों का पालन संस्था द्वारा किया जावेगा ।
12. निजी विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम, 2007 एवं द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2013 का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(५३१९-२०२४/८११५-३५००५८)

०२०११/८१५

(एस.के.शर्मा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक

पृ.क्र. 1484 / 13/सीसी/अडतीस

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, सचिवालय, राजभवन, भोपाल मध्यप्रदेश ।
3. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ।
4. क्षेत्रीय निदेशक एन.री.टी.ई. एवं अध्यक्ष/सचिव/एम.सी.आई./डी.ई.सी./बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
5. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. अध्यक्ष म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, ज्ञान वाटिका वाल्मी रोड कोलार रोड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय अधोसंचना भूमि आदि की आवश्यक शर्तें नियमानुसार पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।
7. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा(योजना शाखा), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग